न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 52/2014 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजकुमार पुत्र मनोहर लाल जाति अहीर

2. प्रहलाद सिंह पुत्र साधूसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासीयान ग्राम दौलत नगर मांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:–––– अपीलांटस

वनाम

1 चरण सिंह पुत्र आसासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम दौलत नगर मांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:–––असल रेस्पो0

2 राजेन्द्र

3 मदनलाल पुत्रान मनोहर लाल

4 राजबाई

5 अन्जू

6 परवीना पुत्रीयान मनोहर लाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम दौलत नगर मांजरा तह0 कोटकासिम जिला अलवर

7 अमीलाल पुत्र जहारसिंह

8 राजेश

9 ललित

10 अजीत

11 सतीश पुत्रान हंसराज जाति अहीर निवासीयान दौलत नगर मांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

12 लद्दासिंह

13 बलजीतसिंह पुत्रान साधूसिंह लबाना सिक्ख

14 रूक्मणी कौर

15 गुरजीत कौर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16 शांति कौर

17 सुरजीत कौर पुत्रीयान जाति लवाना सिक्ख निवासी दौलत नगर गांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

18 तहसीलदार भूमिधारी लैण्ड होल्डर कोटकासिम

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 26.11.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री मनजीत सिंह

2. वकील असल रेस्पो0 :– बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 4.10.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 141/2014 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2004, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी चरण सिंह पुत्र आसासिंह ने तहत अदालत में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 59 रकबा 2–07 जिसके हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 59 एयर, साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 0–12 व साबिक खसरा नम्बर 61 रकबा 1–01 जिनके हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 42 एयर, साबिक खसरा नम्बर 477 रकबा 1–03 जिसका हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 29 एयर, 485 मिन रकबा 1–06 में से 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 20 एयर तथा साबिक खसरा नम्बर 485 मिन रकबा 1–06 में से 4 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 494 रकबा 1–09 में से 5 बिस्वा रकबा हाल खसरा नम्बर 300 रकबा 19 एयर में शामिल किया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 485 मिन रकबा 1–06, 486 रकबा 1–07, 487 रकबा 1–04, 488 रकबा 1–01 जिनको

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मिलाकर हाल खसरा नम्बर 302 रकबा 1.30 हेक्टेयर पैमूद किये गये हैं । साबिक खसरा नम्बर 493 रकबा 1–11, 494 रकबा 1–03 को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 303 रकबा 68 एयर तथा साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 1–10, 496 रकबा 1–16 जिनको मिलाकर हाल खसरा नम्बर 290 रकबा 85 एयर तथा साबिक खसरा नबर 508 रकबा 1–02 से हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 28 एयर वाके ग्राम दौलतनगर मांजरा तहसील कोटकासिम पैमूद हुये हैं । आराजी मुतादाविया साबिक खसरा नम्बर 59 रकबा 2–07, 60 रकबा 0–12, 61 रकबा 1–01, 477 रकबा 1–03, 485 रकबा 2–06, 486 रकबा 1–07, 487 रकबा 1–09, 488 रकबा 1–01, 493 रकबा 1–11, 494 रकबा 1–09, 495 रकबा 1–10, 496 रकबा 1–16, 508 रकबा 1–02 वाके ग्राम दौलतनगर मांजरा तहसील कोटकासिम आसासिंह की अलोटशुदा कब्जा काश्त की रही है । उनको खातेदारी की सनद प्राप्त हो चुकी थी । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गई और बाद में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई । उक्त गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं और आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है और प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 26.11.2014 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि से प्रार्थी असल रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त रेस्पो0 असल रेस्पो0 संख्या 01 के पिता आसासिंह को अलोट हुई थी और उनको सनद खातेदारी प्राप्त हो गई थी । सनद खातेदारी प्राप्त होने के बाद आसासिंह से उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा वर्ष 1965 एवं 1966 में अपीलांटस के पितागण एवं तरतीबी रेस्पो0 के पितागण ने खरीद कर ली थी और राजस्व रेकार्ड में उनके नाम का अंकन हो गया था । उनके बाद हमारा नाम आ गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि हम विवादित भूमि खरीददार खातेदार है । बंदोबस्त विभाग ने सम्वत 2029 में सही अंकन किया है । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर असल रेस्पो0 का धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की वहस तर्कों पर गौर किया । विवादित आराजी के सम्वन्ध में पक्षकारों के टाईटल का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे है, जिसके निस्तारण हेतु धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखना होता है । विद्वान तहत अदालत ने इन तीनों विन्दूओं की विवेचना नहीं की और विवादित भूमि को इनमीडियो मानते हुये असल रेस्पो0 प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो कि विधिसम्मत नहीं है । तहत अदालत के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को शायद इनमीडियो (अधरझूल) की परिभाषा का ज्ञान ही नहीं था । जहां पक्षकारों के मध्य खून खराबा होने का अंदेशा हो, बार बार पक्षकारों में पुलिस केस होता हो आदि, वहां आराजी को इनमीडियो माना जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में ऐंसा कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, जिससे आराजी इनमीडियो सावित होती हो । चूंकि विवादित आराजी अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह भी प्रतिपादित किया है कि एक कब्जेधारी व्यक्ति के कब्जे में अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में मजाहमत नहीं की जा सकती । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0, जो कि काविज काश्तकार खातेदार है, के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी । ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 26.11.2014 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

14/10/2021

(अशोक कुमार सोंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 52/2014 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजकुमार पुत्र मनोहर लाल जाति अहीर

2. प्रहलाद सिंह पुत्र साधूसिंह जाति लवाना सिक्ख निवासीयान ग्राम दौलत नगर मांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:———— अपीलांटस

बनाम

1 चरण सिंह पुत्र आसासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम दौलत नगर मांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:———असल रेस्पो0

2 राजेन्द्र
3 मदनलाल पुत्रान मनोहर लाल
4 राजबाई
5 अन्जू
6 परवीना पुत्रीयान मनोहर लाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम दौलत नगर मांजरा तह0 कोटकासिम जिला अलवर
7 अमीलाल पुत्र जहारसिंह
8 राजेश
9 ललित
10 अजीत
11 सतीश पुत्रान हंसराज जाति अहीर निवासीयान दौलत नगर मांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर
12 लद्दासिंह
13 बलजीतसिंह पुत्रान साधूसिंह लबाना सिक्ख
14 रूक्मणी कौर
15 गुरजीत कौर

16 शांति कौर

17 सुरजीत कौर पुत्रीयान जाति लवाना सिक्ख निवासी दौलत नगर गांजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

18 तहसीलदार भूमिधारी लैण्ड होल्डर कोटकासिम

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 26.11.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री मनजीत सिंह

2. वकील असल रेस्पो0 :– बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 4.10.2021

:– संशोधन दिनांक 28.10.2021:–

प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0 पी0 सी0 पर पत्रावली तलब की गई । प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 4.10.2021 को उपरोक्त उनवानी अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2014 को निरस्त किया गया था । परन्तु सहवन से तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2014 को यथावत रखा जाता है, टंकित हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जावे ।

हमने प्रार्थना पत्र पर गौर किया तथा अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 4.10.2021 का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उनवानी अपील प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.10.2021 के अंत में अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2021 यथावत रखा जाता है, के स्थान पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2014 को निरस्त किया जाता है, पढा जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर